व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–14/2000–01
अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी
बनाम्
तालव मियाँ वगैरह

26/7/2019

–: आदेश :–

विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाडी ने मौजा–घटियारी के जमाबंदी सं0–60 के अंतर्गत दाग नं0–1793, रकवा–00.14 डिसमल जमीन से विपक्षी तालेव मियाँ, पे0–मकबूल वो इसमाईल मियाँ, पे0–महीरूद्दिन वो हनीफ, पे0–किफायत, सा0–घटियारी, अंचल–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसके आलोक में प्रक्रिया प्रारंभ कर विपक्षी से कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विपक्षी से कारण–पृच्छा प्राप्त है। विपक्षी का कथन है कि अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी ने मौजा–घटियारी के जमाबंदी सं0–60 के अंदर दाग नं0–1793 की जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद के लिए प्रतिवेदित किया है, जबकि विपक्षीगण जमाबंदी सं0–58 की जमीन पर दखलकार है। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के द्वारा वासगीत पर्चा केश नं0–19/1985–86 के द्वारा दाग नं0–1793 के अंदर रकवा–00.07 डिसमल जमीन दिया गया है और विपक्षीगण उसपर मकान बनाकर सपरिवार वास करते आ रहे है। विपक्षीगण ने अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाडी के प्रतिवेदन के आधार पर चलाये गये प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण को वादगत जमीन वासगीत पर्चा के माध्यम से प्राप्त है। वादगत जमीन आदिवासी की रैयती जमीन है। रैयती जमीन का हस्तान्तरण किसी भी तरह से नहीं किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा–घटियारी, जमाबंदी सं0–60, दाग नं0–1793 रकवा–14 डिसमल जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को आदेश दिया जाता है कि भूमि पर जमाबंदी रैयत के वर्त्तमान वारिश को दखल दिहानी दिला दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।